Category	Uttar Pradesh	Bihar	West Bengal	Total
Schemes Completed				
1. Interception & Diversion	40	17	25	82
2. Sewage Treatment Plants	9	8	12	24
3. Low Cost Sanitation	14	7	22	43
4. Electric Crematoria	3	8	15	26
5. River Front	8	3	24	35
6. Other Scheme	28	3	1	32
Total:	102	41	99	242

(b) An amount of Rs. 404.41 crores has so far been released to the states, as given below:

Funds released to the participating States for schemes/projects

(Rs. crores)

State	GAP-I
Uttar Pradesh	173.48
Bihar	53.51
West Bengal	177.42
Total	404.410

Joint Venture with German Oil Company for tankage facilities

1578. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Public Sector Oil companies have recently entered into Joint Ventures with Oil Tanking, a German company for creating tankage facilities all over the country;

(b) if so, the terms and conditions of such Joint Ventures; and

(c) to what extent the storage capacity of petroleum products is likely to be increase?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (c) In order to increase the storage capacity of petroleum products in the country, the IOC and IBP, two Government Oil Companies, have entered into an MOU with M/s. Oil tanking, a German Company for development of tankage and allied infrastructure in various parts of the country. However, no joint veriture company has so far been formed.

महिला टेलीफोन ऑपरेटरों को सुरक्षा प्रदान किया जाना

1579. श्री राम देव भंडारी: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1995 के "नवभारत टाइम्स" में "असुरक्षा की शिकार हैं महिला टेलीफोन ऑपरेटर" शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिला टेलीफोन आपरेटरों को, विशेष रूप से रात्रि के समय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी हां। तथापि यह रिपोर्ट 27 जुलाई 95 के अंक में छपी थी।

(ख) किदवई भवन के गेट के बाहर शुक्रवार 21.7.95 को 23.30 बजे एक घटना घटी थी। संबंधित कर्मचारी और उसके पति ने कनाट प्लेस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। मूलत: वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दूरसंचार विभाग की दूसरी विंग से संबंधित पर्यवेक्षी ग्रेड के एक कर्मचारी के खिलाफ है। आंतरिक विभागीय जांच-पड़ताल चल रही है।

भवन के अन्दर असुरक्षा की कोई बात नहीं है जैसा कि समाचार में बताया गया है। समाचार में इस घटना को आम खबर के रूप में छापा है। प्रेस रिपोर्ट में लगाया गया यह आरोप कि प्रशासन ने मामले को रफा-दफा करने के लिए पीड़ित कर्मचारी पर दबाव डालने का प्रयास किया, एकदम गलत है। किदवई भवन के बाहर टैक्सी स्टैण्ड भी तो है लेकिन टैक्सी स्टैंड के मालिकों और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिली है।

(ग) महिलाओं को रात में घर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। किदवई भवन में एक राजपत्रित अधिकारी के पर्यवेक्षण में डोरमेटरी की उचित व्यवस्था है ताकि जिन महिलाओं की ड्यूटी रात में समाप्त होती है वे सुबह तक वहां ठहर सकें। रात में 23.30 बजे तक भवन के बाहर केवल उन्हीं महिलाओं को जाने की अनुमति दी जाती है जिनके पास वाहन और मार्ग रक्षक की अपनी व्यवस्था है। इसके लिए उनसे इस आशय का वचन बंधता की जाती है।